संख्या:87/2020/2153 ई-2/तेरह-2020-38/2014

प्रेषक,

राजेन्द्र कुमार तिवारी
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- पुलिस आयुक्त, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर।
2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 09 अक्टूबर, 2020

विषय:- बिहार राज्य में आगामी विधान सभानिर्वाचन, 2020 के दृष्टिगत अवैध शराब की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में यह अवगत कराना है कि बिहार राज्य में विधान सभा के निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है एवं 03 चरणों में अक्टूबर एवं नवम्बर माह में मतदान की तिथियां निर्धारित हैं। चुनाव के दौरान मतदाताओं को प्रलोभित करने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों द्वारा बिहार राज्य में अवैध रूप से शराब आपूर्ति की प्रबल सम्भावना है जो कि स्वच्छ मतदान के प्रतिकूल है एवं आर्दश आचार संहिता का उल्लंघन भी है। बिहार राज्य में पूर्ण मद्यनिषेध लागू होने के कारण संवेदनशीलता और बढ़ जाती है।

2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार राज्य के विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2020 की तैयारियों की समीक्षा बैठक में सीमावर्ती राज्यों से होते हुये बिहार राज्य में अवैध मदिरा पहुचने पर अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है एवं अवैध संचरण पर पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश दिये गये है। आयोग द्वारा बिहार में पकड़े जाने वाली अवैध शराब की टे^aकिंग कर उत्तरदायित्व निर्धारित करने का भी निर्देश दिया गया है। समीक्षा में संज्ञान में लाया गया है कि हरियाणा आदि प्रान्तों में निर्मित शराब बिहार राज्य में अधिक मात्रा में पकडी जा रही है।

3. उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतमबुद्धनगर, अलीगढ एवं मथुरा जनपद हरियाणा राज्य के सीमावर्ती जनपद है, जहॉ से बिहार राज्य को हरियाणा राज्य निर्मित मदिरा प्रवेश कर परिवहित होने की सर्वाधिक सम्भावना रहती है। राज्य के सोनभद्र, चन्दौली, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर व महराजगंज जनपदों की सीमायें बिहार राज्य से लगी हुई हैं। ऐसी स्थिति में बिहार राज्य में उत्तर प्रदेश से हो कर अवैध मदिरा पहुँचने से यह स्पष्ट है कि सीमावर्ती जनपदों व मार्ग में पड़ने वाले समस्त जनपदों में एवं स्थापित चेक पोस्ट बेरियर पर पूर्ण सर्तकता नहीं बरती जा रही है तथा प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है। हरियाणा आदि प्रान्तों से अवैध मदिरा तस्करी रोकने हेतु सभी जनपदों में पुलिस, आबकारी एवं राजस्व अधिकारियों के समन्वय से प्रभावी कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. अतः उपरोक्त के दृष्टिगत यह निर्देशित किया जाता है कि हरियाणा राज्य की सीमा पर वाहनों की सघन चेंकिंग की जाय, जिससे कि हरियाणा राज्य से अवैध मदिरा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रविष्ट न हो सके तथा उत्तर प्रदेश राज्य के किसी अन्य क्षेत्र से भी अवैध मदिरा बिहार राज्य में न जा सके। अन्य राज्यों को मदिरा परिवहित किये जाने सम्बन्धी पासों का सूक्ष्मता एवं गहनता से परीक्षण एवं सत्यापन करें जिससे कि फर्जी परमिट की आड़ में उत्तर प्रदेश राज्य से हो कर बिहार राज्य में मदिरा न पहुँच सके। चेक पोस्ट बेरियर पर बिहार राज्य की ओर जाने वाले सभी संदिग्ध वाहनों की विशेष रूप से चेकिंग करें। बिहार राज्य के अवैध मदिरा की तस्करी पर प्रभावी रोक लगाना सुनिश्चित करें एवं इसमें सम्मिलित व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(राजेन्द्र कुमार तिवारी)
मुख्य सचिव

संख्या:87/2020/2153(1) ई-2/तेरह-2020तददिनांक।

प्रतिलिपि आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(संजय आर. भूसरेड्डी)
अपर मुख्य सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।